



श्रीमती वसुंधरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान



राजस्थान सरकार

भामाशाह योजना

राज्य के सभी व्यक्तियों की समृद्धि, खुशहाली एवं विकास हेतु भामाशाह योजना के माध्यम से सभी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ की योजनाओं के लाभ/सहायता वास्तविक हकदार व्यक्ति को बैंक खाते के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत राज्य के सभी आयु के समस्त नागरिकों का नामांकन करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

भामाशाह नामांकन योजना के उद्देश्य :-

1. परिवार आधारित योजनाओं के लाभ महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा करना।
2. लाभार्थी को देय लाभ/सहायता सुगमता एवं शीघ्रता से उपलब्ध करवाना।
3. शून्य बैलेंस पर बैंक खाता खोलना।
4. राज्य के निवासियों को परिवार पहचान कार्ड उपलब्ध करवाना।

शिविर में जनसामान्य हेतु मुख्यतः निम्न कार्य किए जाएंगे-

1. आधार नामांकन
2. भामाशाह नामांकन
3. बैंक में खाता खोलना
4. बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ना
5. त्रुटिपूर्ण राशन कार्डों का सत्यापन व संग्रहण
6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन

हैल्प लाइन
1800 180 6127

आपकी ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड में भामाशाह नामांकन शिविर दिनांक.....से.....तक आयोजित किया जा रहा है जिसमें आप नामांकन के लिए निम्न दस्तावेज जो भी उपलब्ध है, लेकर पधारें:-

- राशन कार्ड
- आधार पहचान पत्र
- गैस कनेक्शन पास-बुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- बैंक/पोस्ट ऑफिस पास-बुक
- जाति प्रमाण पत्र
- नरेगा जॉब कार्ड
- बिजली/पानी/टेलिफोन बिल
- पेन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- ड्राईविंग लाईसेन्स
- अन्य कोई फोटो पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- प्राधिकृत अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, निवास व पहचान के अन्य मान्य दस्तावेज।

नोट:- भामाशाह नामांकन अभियान की अवधि के दौरान पंचायत समिति पर स्थित राजसंपर्क आई.टी. केन्द्र पर स्थाई नामांकन शिविर कार्यरत रहेंगे।

नामांकन शिविर के सम्बन्ध में विशेष जानकारियाँ

- नामांकन परिवार आधारित हैं अतः परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर आवें। शिविर अवधि में किसी कारणवश अनुपस्थित सदस्य का नामांकन बाद में भी करवाया जा सकता है।
- परिवार की महिला मुखिया का एकल खाता (परिवार का बैंक खाता) होना/खुलवाना अनिवार्य है। बैंक खाता खुलवाने हेतु कोई राशि जमा नहीं करानी होगी।
- नामांकन केन्द्रों पर ई-आधार के प्रिन्ट की सुविधा भी निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी।
- भामाशाह नामांकन हेतु दी गई सूचनाओं से सम्बन्धित मूल दस्तावेज व उनकी छाया प्रति लेकर शिविर में आवें।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:-

जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिला परिषद, उप/सहायक निदेशक-आर्थिक एवं सांख्यिकी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, शहरी निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव- ग्राम पंचायत एवं पटवारी।

सभी नागरिकगण शिविर में पधार कर अपना नामांकन करावें तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

आयोजना विभाग, राजस्थान

विशेष: सामाजिक प्रवेश एवं निगम नगरपालिका वार्ड नं. 15, 16 व 17 को क्षेत्रीय स्तरमा शिविरको आयोजना गर्न नगरपालिका प्रशासनले निर्धारण गरेको छ। यस शिविरको आयोजना गर्न नगरपालिका प्रशासनले निर्धारण गरेको छ। यस शिविरको आयोजना गर्न नगरपालिका प्रशासनले निर्धारण गरेको छ।

क्र.सं.	निर्वाहक/संस्था	वर्षाई दर	निर्वाहक/संस्था	प्रस्तावित/अभिधायक	नगर/प्रस्तावित/अभिधायक (वर्षा/शिविर/संस्था)	वर्षा	सर्वाधिकार/संस्था/संस्था/संस्था	(संस्था/संस्था/संस्था/संस्था)
1	04.05.2015 से 05.05.2015	15,16 व 17	श्री महेशा ड. भा. विद्यालय शिविरको नेट	जोन आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर	अधिवासी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	09.00 बजे से सायं 06.00 बजे सम्म	श्री मोहम्मद रफीक 9414121796	सम्बन्धित सफाई निरीक्षक निर्धारित शिविर स्थानको का शिविर विधि से पूर्व निरीक्षण कर भवन व्यवस्थापको से सम्पर्क कर भवन उपलब्धता व फर्निचर एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने ।

मुख्य कार्याकारी अधिकारी
एवं नगर भागान्तरण प्रबन्धक,
नगर निगम, जोधपुर

1938-39

20/1/38

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

...

...

...

क्र. भागशराह/योजना/वर्ग/वर्ष/2015/1950

भागशराह शिबिर कार्यक्रम

दिनांक:- 30/4/15

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर भागशराह प्रबंधक नगर निगम, जोधपुर

जिला भागशराह प्रबन्धक एवं जिला कलक्टर जोधपुर के निर्देशानुसार राकस्थान जन कल्याण एवं राजकीय सेवाओं के लाभ को प्रभावी विस्तार हेतु भागशराह योजना अन्तर्गत सभी सामान्य निवासियों को भागशराह गाओंकेन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु बाह्य वाईव प्रोकेस का आयोजन निम्नानुसार संघर्षित किया जायेगा। प्रोकेस में जिन महिला मुख्याओं का पूर्व में बैंक खाता नहीं है उनको बैंक खाता खोलने को सुविधा प्रदान की जायेगी तथा प्रोकेस में आधार नामांकन की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

(शहर विधान सभा क्षेत्र के बाह्य)

क्र.सं.	शिविर दिनांक	बाह्य संख्या	शिबिर स्थल	प्रभारी अधिकारी	सह प्रभारी अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती)	समय	घरों स्थल / सहायक या अनुपस्थिति के नाम	विशेष विवरण
1	05.05.2015	30 व 40	य. जयंत उ.म. विद्यालय मौलपुरा पुलिसवा सोबती गेट	जोन आसुक्त, नगर निगम, जोधपुर	आधिषारी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	09.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक	श्रीमति मनु कंडाता 9829128869	सम्बन्धित सफाई निरीक्षक निर्धारित शिबिर स्थानों का शिबिर तिथि से पूर्व निरीक्षण कर भवन व्यवस्थापकों से सम्पर्क कर भवन उपलब्धता व फर्निचर एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
3	06.05.2015	41	अपराजित काम्युनिटी हॉल पार्क पुरानेसे	जोन आसुक्त, नगर निगम, जोधपुर	आधिषारी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	09.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक	श्री प्रदीप खेनवाल पार्क 9772385103	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भागशराह प्रबन्धक,
नगर निगम, जोधपुर

क्रमंक :- भामाशाह/योजना/नवि/जोध/2014/1956-1961

दिनांक :- 30/4/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं प्रेषित है :-

- 1 माननीय महामौर/उपमहामौर नगर निगम, जोधपुर ।
- 2 जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक, जोधपुर।
- 3 उपखण्ड अधिकारी जोधपुर।
- 4 पुलिस उपायुक्त, जोधपुर/शान्तिधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शिविर कार्यक्रमानुसार पुलिस को व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि शिविर कार्यक्रम में कानून व शान्ति व्यवस्था कायम रहे।
- 5 सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि शिविर कार्यक्रमानुसार पुलिस को व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि शिविर कार्यक्रम में कानून व यालना सुनिश्चित करते हुए समय पर सूचना अथोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करायेगी।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/मा.शि., जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित संस्था प्रश्नान को याबन्द करे अथोहस्ताक्षरकर्ता को अचनात करावे।
- 7 उप निर्देशक अर्थिक एवं साख्यिकी विभाग, जोधपुर ।
- 8 लीड बैंक अधिकारी, जोधपुर उक्त शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर स्थल पर आमजन को उपलब्ध करावी जाने वाली बैंकिंग व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करेंगी।
- 9 आर्थ.अधि. (विद्युत), नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।
- 10 वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में लाईट मार्डक टेन्ड, अलन्हार एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
- 11 प्रमारी डाटा सौफ्ट जोधपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भामाशाह प्रबन्धक,
नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक:- भागाशाह/योजना/वि/बोध/2015/ 1962

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर भागाशाह प्रबंधक नगर निगम, बोधपुर

भागाशाह शिविर कार्यक्रम

दिनांक:-

जिला भागाशाह प्रबंधक एवं जिला कलक्टर बोधपुर के निर्देशानुसार राबस्थान जन कल्याण एवं राजकीय सेवाओं के लाभ के प्रभावी वितरण हेतु भागाशाह योजना अन्तर्गत सभी सामान्य निवासियों को भागाशाह नामांकन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु वार्ड वार्ड प्रोकेस का आयोजन निम्नानुसार संघटित किया जायेगा। प्रोकेस में जिन महिला मुख्याओं का पूर्व में बैंक खाता नहीं है उनको बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा प्रोकेस में आधार नामांकन की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

(यत्नपूर्व विधान सभा क्षेत्र के वार्ड)

क्र.सं	शिविर दिनांक	वार्ड संख्या	शिविर स्थल	प्रभारी अधिकारी	सह प्रभारी अधिकारी (सर्वेक्ष/श्रीमती)	घंटे	मार्ग दर्शक / सहायक या अनुपस्थित के नाम	विवरण वितरण
1	7/5/2015	58	जोगगया चौक आर.टी.ओ के पास बीजेस	जोन आयुक्त, नगर निगम, बोधपुर	अधिवाशी अभियन्ता, नगर निगम, बोधपुर	09.00 बजे से साय 06.00 बजे तक	श्री चैन सिंह ईवा पार्क 9413794449	सम्बन्धित सफाई निरीक्षक निर्धारित शिविर स्थानों का शिविर विधि से पूर्व निरीक्षण कर भवन व्यवस्थापकों से सम्पर्क कर भवन उपलब्धता व फर्निचर एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भागाशाह प्रबंधक,
नगर निगम, बोधपुर

क्रमांक :- भामाशाह/योजना/नि/जोष/2014/1962-314

दिनांक :-

प्रतिशिवि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनाएँ प्रेषित है :-

- 1 ग्रामीण महापौर/उपमहापौर नगर निगम, जोधपुर ।
- 2 जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक, जोधपुर।
- 3 उपखण्ड अधिकारी जोधपुर।
- 4 पुलिस उपआयुक्त, जोधपुर/शान्तिाधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शिविर कार्यक्रमानुसार पुलिस को व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि शिविर कार्यक्रम में कानून व शान्ति व्यवस्था कायम रहे।
- 5 सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि भामाशाह नामक शिविर का प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए राज्य सरकार के समस्त परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करते हुए समय पर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करायेगी।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/मा.शि., जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार विद्यालय को उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
- 7 उप निर्देशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जोधपुर ।
- 8 लीड बैंक अधिकारी, जोधपुर उक्त शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर स्थल पर आमजन को उपलब्ध करायी जाने वाली बैंकिंग व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करेगी।
- 9 अधि.अभि. (विद्युत), नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
- 10 वरिष्ठ लेखअधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में लाईट मार्किट टेन्ट, अल्ट्रा वॉल पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
- 11 प्रमोरी डाटा सोफ्ट जोधपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भामाशाह प्रबन्धक,
नगर निगम, जोधपुर

ऑफिस:- भामाशाह/बोर्डिंग/नॉ/बो/2015/

19/15

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं नगर भामाशाह प्रबंधक नगर निगम, जोधपुर

भामाशाह शिक्षित कार्यक्रम

दिनांक:- 30/04/15

भामाशाह योजना 2014

शिला भामाशाह प्रबन्धक एवं शिला अलवरटर जोधपुर के निरीक्षणद्वारा राजस्थान जल करदाता एवं राजकीय सेवाओं के लाभ के प्रभावी विवरण हेतु भामाशाह योजना अन्तर्गत वर्षीय वार्षिक निवृत्तियों को भामाशाह नामांकन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें इस हेतु वार्ड वार्ड कार्यक्रम का आयोजन निम्नांशुसार संघीय शिला योजना प्रोक्तम से जिन महिला मुहताजों का पूर्व में बैंक खाता नहीं है उनके बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा प्रोक्तम में आधार नामांकन की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।

क्र.सं	शिलार विवरण	वार्ड संख्या	शिलार स्थल	प्रभारी अधिकारी	सह प्रभारी अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती)	प्राप्ति	पार्स पर्यटक / साक्षरक या अनुसंधान के नाम	विशेष विवरण
1	11.05.2015 से 12.05.2015	20/21 व 22	शाहा रामदेव मंदिर मयूरवा	जौन आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर	अधिकाशी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	09.00 बजे से साय 06.00 बजे तक	श्री धरतर प्रजापति 9414722394	सम्बंधित सफाई निरीक्षक निर्धारित शिलार स्थानों का शिलार विधि से पूर्व निरीक्षण कर भवन व्यवस्थापकों से सम्पर्क कर भवन उपलब्धता व फर्निचर एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं नगर भामाशाह प्रबन्धक,
नगर निगम, जोधपुर

दिनांक:- 30/11/15

क्रमांक:- भामाशाह/भोजन/ननि/जोध/2014/1276-386
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यकारी एवं सूचनायें प्रेषित है :-

- 1 माननीय महावीर/उपमहावीर नगर निगम, जोधपुर ।
- 2 जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक, जोधपुर।
- 3 उपलाइ अधिकारी जोधपुर।
- 4 पुलिस उपायुक्ता, जोधपुर/धानाधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश है कि शिविर कार्यक्रमानुसार पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि शिविर कार्यक्रम में कानून व शांति व्यवस्था कायम रहे।
- 5 सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि भामाशाह नामक शिविर का प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए राज्य सरकार के समस्त परिषदों की पालना सुनिश्चित करते हुए समय पर सूचना अशोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करायेगे।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, प्राश/मा.शि., जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द कर अशोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
- 7 उप निर्देशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जोधपुर ।
- 8 लीड डैक अधिकारी, जोधपुर उक्त शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर स्थल पर आमजन को उपलब्ध करायी जाने वाली वैकित्वा व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करेगे।
- 9 अधि,अधि,(विद्युत), नगर निगम, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने को व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
- 10 वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को भेजकर लेख है कि शिविर कार्यक्रमानुसार शिविर में लाइट मार्डक टेन्ट, अलवार एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावे।
- 11 प्रमरी डाटा सोफ्ट जोधपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 एवं नगर भामाशाह प्रबन्धक,
 नगर निगम,जोधपुर